खण्ड–18, अंक–3
गुरुवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1928
(15 मार्च, 2007 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2007)

(खण्ड 18 में 4 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2007

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों को नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की मांग	1–6
प्रश्नोत्तर	7–9
वित्तीय वर्ष 2007–2008 के एक भाग के लिए लेखानुदान (स्वीकृत)	10
उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापन एवं पारण)	10–15

"क"

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अनिल नौटियाल
3–श्रीमती आशा
4–श्री ओम गोपाल
5–श्री करन मेहरा
6–श्री किशोर उपाध्याय
7–श्री केदार सिंह
8–श्री केदार सिंह फोनिया
9–श्री खजान दास
10–श्री खड़क सिंह बोहरा
11–श्री गगन सिंह
12–श्री गणेश जोशी
13–श्री गोपाल सिंह
14–श्री गोपाल सिंह रावत
15–श्री गोविन्द लाल
16–श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
18–श्री चन्दन राम दास
19–श्री जोगा राम टम्टा
20–हाजी तस्लीम अहमद
21–श्री तिलक राज बेहड़
22–श्री दिनेश अग्रवाल
23–श्री दिवाकर भट्ट
24–श्री दिवान सिंह
25–श्री नारायण पाल
26–काजी मौ0 निजामुद्दीन
27–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
28–श्री प्रकाश पंत
29–श्री प्रणव सिंह
30–श्री प्रीतम सिंह
31–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
32–श्री प्रेमानन्द महाजन
33–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
34–श्री बलवीर सिंह नेगी
35–श्री बिशन सिंह चुफाल
36–श्री बंशीधर भगत
37–श्री बृज मोहन कोटवाल
38–श्री भगत सिंह कोश्यारी
39–श्री मदन कौशिक
40–श्री मनोज तिवारी
41–श्री मयूख सिंह
42–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
43–श्री मातबर सिंह कण्डारी
44–श्री मुन्ना सिंह चौहान
45–श्री यशपाल आर्य
46–श्री यशपाल बेनाम
47–चौ0 यशवीर सिंह
48–श्री रणजीत रावत
49–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
50–श्री राजकुमार
51–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
52–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
54–श्रीमती वीना महराना
55–श्री शहजाद
56–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
57–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
58–श्री सुरेन्द्र राकेश
59–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
60–श्री सुरेश चन्द जैन
61–डा0 हरक सिंह रावत
62–श्री हरभजन सिंह चीमा
63–श्री हरिदास
64–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

विपक्ष द्वारा कतिपय विषयों को नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारे कुछ साथी इस घटना को हंस कर ले रहे हैं। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शेम–शेम के नारे लगाये गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नकाल होने दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है। एक व्यापारी की हत्या हुई है। इस पर सारे नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा करायी जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्नकाल चलने दें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। पहले प्रश्नकाल होने दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सारे नियमों को निलम्बित करते हुए..............(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा 'सदन में चर्चा करवाई जाये' का नारा लगाया गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सहयोग दें।

(डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष, श्री यशपाल आर्य, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मह्‌ू भाई" को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यगण और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर नारे लगाने लगे)

[X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

("वेल" में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

[X X X]

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें, आप लोग सदन को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[X X X]

नोट – [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष

मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आज महत्वपूर्ण दिन है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होनी है, कृपया अपना–अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

[X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवम् बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में पूर्ववत् एक साथ नारे लगाते रहे–गुण्डागर्दी की ये सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी। लाठी गोली की ये सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी आदि)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात कार्यवाही में नहीं आयेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री करन मेहरा–

[X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज लोगों को घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो रहा है। मान्यवर, इस विषय पर चर्चा करायी जाय।

(शेम–शेम की ध्वनि सुनाई दी)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

नोट – [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय के सभी माननीय सदस्य एवम् बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सद पूर्ववत् एक साथ नारे लगाते रहे–गुण्डागर्दी की ये सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे, उनकी कोई भी कही गयी बात कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, रामनगर में जो व्यापारी की हत्या हुई है, इस पर पहले चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। माननीय सदस्य अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यगण एवम् बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे :–

(लाठी गोली की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपराधियों को संरक्षण देने वाली यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को पूर्वाह्न 11:45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:45 बजे पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, नियम–310 में चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, चर्चा की अनुमति दे दें, आप अपना विनिश्चय दे दें, हम बैठ जायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में आकर नारे लगाने लगे :–

(गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, व्यापारी विरोधी सरकार नहीं चलेगी, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी, व्यापारियों का उत्पीड़न करने वाली सरकार नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। जब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक यह कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरिदास–

[X X X]

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरा आपसे अनुरोध है कि अनेक नये सदस्य सदन में आये हैं, वे भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है, प्रदेश के व्यापारी की हत्या हुई है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् "वैल" में नारे लगाते रहे।)

[X X X]

नोट – [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही में कुछ भी अंकित नहीं किया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

[X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सत्तापक्ष सदन के प्रति गम्भीर नहीं है, हम चाहते हैं, सदन चले। सदन में मोबाइल पर बात की जा रही है।.........(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं मार्शल, विधान सभा को निर्देशित करता हूँ कि माननीय सदस्य को मोबाइल बन्द करने के लिए कहा जाय।

(तत्पश्चात् मार्शल, विधान सभा द्वारा माननीय सदस्य को मोबाइल को बन्द करने के लिये कहा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, हम सदन के प्रति गम्भीर हैं, हम सदन चलाना चाहते हैं।................ (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। अनेक माननीय सदस्य पहली बार चुनकर इस सदन में आये हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का सभी माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा और उस समय आप कानून व्यवस्था और अन्य विषयों पर विस्तार से बात कर सकते हैं। कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं कि सदन चले, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

नोट – [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

"प्रश्नोत्तर"

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य के सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज इन्जैक्शन की अनुपलब्धता

** 1–काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री को ज्ञात है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज इन्जैक्शन उपलब्ध नहीं हैं जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है ?

यदि हाँ, तो सरकारी अस्पतालों में तुरन्त एंटी रैबीज इन्जैक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

वर्तमान में राजकीय चिकित्सालयों में एंटी रैबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

समस्त राजकीय चिकित्सालयों में एंटी रैबीज वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा जिलों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु महानिदेशक के भण्डार में 52160 वॉयल एंटी रैबीज वैक्सीन दिनांक 1–4–2006 तक उपलब्ध थी, जिसमें से वर्तमान में 14220 वॉयल जनपदों को वितरण करने हेतु शेष हैं। सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा समस्त बड़े चिकित्सालयों को एंटी रैबीज वैक्सीन उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध करायी जा रही है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12:45 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गये और नारे लगाने लगे–गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, व्यापारियों का शोषण करने वाली यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट –उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 43 के अन्तर्गत प्रश्न उत्तरित माना गया।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें, आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर उत्तर भी देने वाले हैं।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जब तक आप लोग आसन ग्रहण नहीं करेंगे, कार्यवाही में कोई बात अंकित नहीं की जायेगी।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

[X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

* श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, रामनगर वाले प्रकरण पर सरकार वक्तव्य देने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे अपने दल के माननीय सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने को कहें।

* डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

[X X X]

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

आपकी कोई भी बात कार्यवाही में अंकित नहीं की जा रही है।

(डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

[X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

* डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है, लेकिन माननीय सदस्यगण कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी बात कार्यवाही में नहीं आयेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर,

[X X X]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहयोग दें। जो नये माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, वे अपनी बात कहना चाहते हैं। इसलिए सदन को चलने दें। नये सदस्यों की भावनाओं को ठेस न पहुंचायें। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया और फिर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए ''वेल'' में आ गये और नारे लगाने लगे–गुण्डागर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी। चौथ वसूली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी आदि।)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट – [X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2007–2008 के एक भाग के लिए लेखानुदान

*मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2007–2008 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि 31–3–2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 01–04–2007 से 31–07–2007 तक के उत्तराखण्ड सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान, जैसा कि सदन में प्रस्तुत किया गया है, की अनुसूची में दिये गये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले आवश्यक व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो रु0 30387939000/– (रु0 तीन हजार अड़तीस करोड़ उनासी लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31–03–2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 01–04–2007 से 31–07–2007 तक के उत्तराखण्ड सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान, जैसा कि सदन में प्रस्तुत किया गया है, की अनुसूची में दिये गये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले आवश्यक व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो रु0 30387939000/– (रु0 तीन हजार अड़तीस करोड़ उनासी लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायें।

(प्रतियां वितरित की गईं)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007

(विधेयक संख्या : वर्ष, 2007)

राज्य की संचित निधि में से 01–04–2007 से 31–07–2007 की अवधि में सेवाओं पर व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2007 है। — संक्षिप्त नाम

2. उत्तराखण्ड की संचित निधि में से 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए रु0 37431893000/– (रुपये तीन हजार सात सौ तैंतालीस करोड़ अठ्ठारह लाख तिरानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ–7 और 9 में विनिर्दिष्ट मतदेय तथा स्तम्भ–8 और 10 में विनिर्दिष्ट भारित धनराशियों का योग है, निकाली जा सकेगी। — उत्तराखण्ड की संचित निधि में से 2007–2008 के लिये रु0 37431893000/– का दिया जाना

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत धनराशि, उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेगी। — विनियोग

अनुसूची

31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिए लेखानुदान की आवश्यकता है

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान क्रम	अनुदान का विवरण	कुल मांग				1 अप्रैल, 2007 से 31 जुलाई, 2007 हेतु आवश्यक धनराशि			
		राजस्व		पूंजी		राजस्व		पूंजी	
		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	विधान सभा	105492	7708	0	0	35160	2879	0	0
02	राज्यपाल	0	25658	0	0	0	8669	0	0
03	मंत्रि परिषद्	293511	0	0	0	97838	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	414916	125702	200001	0	138571	41898	66667	0
05	निर्वाचन	130740	0	0	0	77761	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2185901	8329	1101907	0	828629	2773	167302	0
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	9531201	13021760	1901505	5996594	3637266	4581385	500501	2380199
08	आबकारी	42742	0	4500	0	14244	0	1500	0
09	लोक सेवा आयोग	0	40244	0	0	0	13414	0	0
10	पुलिस एवं जेल	3116325	0	486540	0	1038876	0	162180	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति	15068615	0	1642302	0	5151827	0	547433	0
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	3709523	0	1184070	0	1235107	0	394689	0
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	4905335	0	45000	0	1635101	0	15000	0
14	सूचना	156669	0	0	0	52217	0	0	0
15	कल्याण योजनाएं	2039166	0	67060	0	679689	0	22352	0
16	श्रम और रोजगार	543694	0	136530	0	181226	0	45510	0
17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	2243044	0	38600	0	746012	0	12867	0
18	सहकारिता	176724	0	160000	0	58907	0	53333	0
19	ग्राम्य विकास	2880938	0	620405	0	909631	0	206801	0
20	सिंचाई एवं बाढ़	1989138	0	2596547	0	672126	0	874808	0
21	ऊर्जा	396788	1	4416087	0	132262	0	1472028	0
22	लोक निर्माण कार्य	3081137	35670	8802591	0	1027043	11890	2934197	0
23	उद्योग	425556	0	612794	0	171108	0	186695	0
24	परिवहन	289439	0	664922	0	96474	0	221640	0
25	खाद्य	171895	0	52430	0	57300	0	17477	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	पर्यटन	226182	0	417740	0	75381	0	139247	0
27	वन	2279132	0	145253	0	789244	0	48417	0
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	482140	0	28769	0	161242	0	9560	0
29	औद्यानिक विकास	629773	2544	0	0	211390	847	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	3650251	0	2122254	0	1198989	0	707415	0
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	678302	0	735282	0	224607	0	245092	0
	योग :	61844269	13267616	28183089	5996594	21335228	4663755	9052711	2380199
	राजस्व/पूंजी का कुल योग :	75111885		34179683		25998983		11432910	
	महायोग (कुल मांग एवं आवश्यक मांग) :	109291568				37431893			

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस दिधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 3:00 बजकर 07 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक : 15 मार्च, 2007

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधान सभा / 332–17–7–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यू0 / रीजियो)।